

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

863 / 287 / 2007 / नियम / चार

भोपाल, दिनांक 14 जून, 2007

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल -1

मध्य प्रदेश बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स 1995 भाग- II के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन
-0-

मध्य प्रदेश बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स 1995 भाग- II में वन विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संलग्न प्रपत्र अनुसार और संशोधन किया जाता है ।

S.N 1	Description 2	Authority competent exercise the powers 3	Extent of delegation 4	Condition 5
9(vi)	For sale of forests produce when payment is not received in full at the time of delivery .	1. Principal Chief Conservator of Forests . 2. Additional Chief Conservator of Forests / Chief Conservator of Forests . 3. Conservator of Forests . 4. Divisional Forest Officer	Up to Rs. 30 Lakh Up to Rs. 25. Lakh Up to Rs. 10 Lakh Up to Rs. 05 Lakh	

2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू माने जाएंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
अर्चना
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक जून, 2007

क्रमांक : / / 2006 / नियम / चार
प्रतिलिपि,

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / आडिट 1/2 मध्य प्रदेश ग्वालियर / भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

P. S. J.
(पी.सी. जर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग